

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग ।।।—खण्ड ४

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 121]	नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 4, 2016/चैत्र 15, 1938
No. 121]	NEW DELHI, MONDAY, APRIL 4, 2016/CHAITRA 15, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

फा. सं.1-99/एसपी(कन्टैम्नेन्ट्स)/आरईजी/एफएसएसएआई/2015.—खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कितपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारुप जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, जिसे उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित करता है और उसके द्वारा यह जानकारी दी जाती है कि उक्त प्रारुप विनियम, उस तारीख से, जिसको राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसे आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, सम्यक रुप से वैज्ञानिक साक्ष्य के समर्थन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in भेजे जा सकेंगे;

उक्त प्रारुप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर ऐसे विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारुप विनियम

- 1.(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) संशोधन विनियम, 2016 है।
- (2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

1645 GI/2016 (1)

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अविषष्ट) विनियम, 2011 के "धातु संदूषक" सम्बन्धी विनियम 2.1 के आधीन उप विनियम 2.1.1 की सारणी से "जस्ता" सम्बन्धी क्रम संख्या 5 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[विज्ञापन-/III/4/असा./5/16]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे उसके पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा संशोधन किए गए:

- (i) फा.सं. 1-12/एससीआई.पैनल/(अधिसूचना)/एफएसएसएआई/2012, तारीख 3 दिसंबर, 2014;
- (ii) फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (iii) फा.सं.1-99/1/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2009, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (iv) फा.सं.1-99/4/एसपी(संदूषक)/एफएसएसएआई/2014, तारीख 4 नवंबर, 2015;
- (v) फा.सं.1-10(6)/मानक/एसपी/(मत्स्य और मात्स्यिकी उत्पाद)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 4 जनवरी, 2016 और
- (vi) फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 5 जनवरी, 2016 ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2016

F. No. 1-99/SP(Contaminants)/REG/FSSAI/2015.—The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Contaminants, toxins and Residues) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, with previous approval of the Central Government, proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (i) of sub-section (2) of section 92 read with section 20 and 21 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the sub-section (1) of section 92, for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestion, if any, duly supported with scientific evidence, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Amendment Regulations, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.
- 2. In the Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011, in regulation 2.1 relating to "METAL CONTAMINANTS" in sub-regulation 2.1.1, under the Table, serial number (5) relating to 'Zinc' and the entries relating thereto shall be omitted.

[ADVT.III/4/Exty./5/16]

Pawan Agarwal, Chief Executive Officer

Note.— The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

- (i) F. No.1-12/Sci.panel/(Notification)/FSSAI/2012, dated the 3rd December, 2014;
- (ii) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 4th November, 2015;
- (iii) F. No.1-99/1/SP(Contaminants)/FSSAI/2009, dated the 4th November, 2015;
- (iv) F. No. 1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014, dated the 4th November, 2015;
- (v) F. No.1-10(6)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated the 4th January, 2016 and
- (vi) F. No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated the 5th January, 2016.